राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1512/2024

भगवान सहाय

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांगानेर।
4. श्यामसुंदर शर्मा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.03.2024
आदेश की दिनांक : 29.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री राकेश कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.03.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर से पंचायत समिति, खैराबाद, कोटा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध की अवधि में स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.03.2024 को जारी किया गया, जब स्थानान्तरण पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया हुआ था। ऐसे में प्रतिबन्ध की अवधि में स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी श्यामसुन्दर शर्मा का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया

गया है। श्यामसुन्दर शर्मा को पूर्व में आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा पंचायत समिति, चौथ का बरवाड़ा से पंचायत समिति, अजमेर ग्रामीण स्थानान्तरित किया गया था। इसके पश्चात निजी प्रत्यर्थी ने पंचायत समिति, अजमेर ग्रामीण में कार्य ग्रहण नहीं किया एवं निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में पुनः स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 पारित कर निजी प्रत्यर्थी के सम्बन्ध में पूर्व के स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए निजी प्रत्यर्थी को चौथ का बरवाड़ा से अजमेर ग्रामीण स्थानांतराधीन होना दर्शाते हुए पंचायत समिति, खैराबाद, कोटा स्थानान्तरित किया गया। इसके पश्चात आलोच्य आदेश से निजी प्रत्यर्थी का चौथ का बरवाड़ा से अजमेर ग्रामीण से खैराबाद, कोटा स्थानांतरणधीन होना दर्शाते हुए पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी को उसकी पसन्द के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है और अपीलार्थी को पंचायत समिति, खैराबाद, कोटा स्थानान्तरित किया गया, जो उचित नहीं है।

2. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है। ऐसे में प्रतिबन्ध की अवधि में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी को प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरित किया गया है। निजी प्रत्यर्थी को चौथ का बरवाड़ा से अजमेर ग्रामीण स्थानांतरित किया गया था, परंतु निजी प्रत्यर्थी अजमेर ग्रामीण में कार्यग्रहण करता, उसके पूर्व ही निजी प्रत्यर्थी को खैराबाद, कोटा स्थानांतरित किये जाने के आदेश पारित कर दिये थे, जिसके बाद निजी प्रत्यर्थी ने खैराबाद, कोटा में कार्यग्रहण भी कर लिया था। इसके पश्चात निजी प्रत्यर्थी को पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं है न ही निजी प्रत्यर्थी को कोई लाभ दिया गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश क्रमांक एएफ.29(2)परावि/प्रशा–2/अति.सहा.वि.अ.प्र.अ./स्था./पद/2024 दिनांक 15.03.2024 पूर्णतः प्रशासनिककारणों से राजहित व लोकहित में किया गया है, बल्कि प्रत्यर्थी

संख्या–4 को समायोजित करने के लिए नहीं किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. जहां तक स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है तो इसके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमोद किया जाना प्रकट होता है। ऐसे में हम स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर स्थानांतरण आदेश पारित किया जाना पाते हैं। जहां तक निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी को स्थानांतरित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में हम पाते हैं कि निजी प्रत्यर्थी को पूर्व में खैराबाद, कोटा स्थानांतरित किया गया था, जहां निजी प्रत्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया था। कार्यग्रहण करने के पश्चात निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर किया गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना या दुर्भावना होना नहीं पाते हैं। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी स्वयं जयपुर जिले में वर्ष 2013 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को पर्याप्त समय तक जयपुर जिले में पदस्थापित रखने के बाद स्थानांतरित किया गया है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरित किये जाने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवा किस स्थान पर प्राप्त करें। उसके द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब वह निर्णय विधि–विरूद्ध एवं दुर्भावनापूर्वक पारित न किया गया हो। अतः अपील खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 28.03.2024 निरस्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)